संख्या– 132 /XVIII(2)/2019-20(38)/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 17 सितम्बर, 2019

विषयः–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को खतौनी में अकृषिक अंकित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–350/XXXVI(3)/2018–79(1)2018 दिनांक 06 अक्टूबर,2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1598/XVIII(2)/2018–20(38)2018 दिनांक 26 नवम्बर, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नांकित स्पष्टीकरण प्रख्यापित किया गया हैः–

"इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 143क के अन्तर्गत आने वाली भूमि धारा 143 के अन्तर्गत स्वमेय औद्योगिक आशय से प्रख्यापित हुई समझी जायेगी। अतः परगने का अधिकारी सहायक कलेक्टर द्वारा ऐसी कृषि भूमि को खतौनी में अकृषिक (औद्यौगिक आशय) अंकित करने हेतु कार्यवाही कर दी जायेगी।"

2– उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के क्रम में गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठकों मे औद्योगिक इकाईयों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया जा रहा है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गयी भूमि का अकृषिक किये जाने में विलम्ब की स्थिति बनी हुई है साथ ही उपरोक्त अधिसूचना संख्या–350/XXXVI(3)/2018–79(1)2018 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 की धारा 143क में अंकित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/सम्मति के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भूमिधर द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि का औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुक्रम में गठित राज्य प्राधिकृत समिति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत स्वतःअकृषिक (औद्योगिक आशय) से प्रख्यापित समझी जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम,2012 के अनुक्रम में गठित राज्य प्राधिकृत समिति की अनुमति से भूमि क्रय की जाती है तो उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत स्वतःअकृषिक (औद्योगिक आशय)से प्रख्यापित समझी जायेगी।

5— परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर द्वारा ऐसी कृषि भूमि को खतौनी में अकृषिक (औद्यौगिक आशय) अंकित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतःउपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः—यथोपरि।**

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

**संख्या— /XVIII(2)/2019-20(38)/2018,** तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, औद्यौगिक विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड—देहरादून।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।